संख्या-1/2023/975/29-6-2023-135सा0/2015

प्रेषक,

सन्त लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 24 मई,2023

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने हेतु अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्रस्तर-7(6) में यह व्यवस्था है कि " **राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों और अन्य अनुसूचित वस्तुओं से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित मूल्य की दुकान की उचित दर दुकान के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिये अनुज्ञा प्रदान करेगी।**" उक्त व्यवस्था के आलोक में उक्त आदेश की अनुसूची [खण्ड 1-2(फ)] में उल्लिखित अनुसूचित वस्तुओं **(1-गेहूं 2-चावल 3-दाल 4-आटा 5-चीनी 6-खाद्य तेल 7-मिट्टी तेल 8-मोटा अनाज 9-नमक)** के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं **(1-जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं यथा- साबुन,शैम्पू,टूथपेस्ट,चाय,पेन,कॉपी आदि 2-स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बंधी वस्तुएं यथा- ओ0आर0एस0टैबलेट/घोल,निरोध,सैनेटरी नैपकीन आदि)** के विक्रय की अनुमति शासनादेश संख्या-8/2019/1687/29-6-2019-135सा0/2015 दिनांक 11-11-2019 द्वारा सशर्त प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11-11-2019 द्वारा बिक्री हेतु अनुमन्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य जनोपयोगी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बंधी निम्नांकित वस्तुओं की बिक्री उचित दर दुकानों के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1)जनोपयोगी वस्तुएं-

1- दूध एवं दूध से बने उत्पाद (पैक्ड)	13-सौंदर्य प्रसाधन सामग्री	25-टूथब्रश
2-बिस्किट	14-सोयाबीन	26-डिटर्जेंट पाउडर
3-ब्रेड	15-क्रीम	27- मच्छररोधी अगरबत्ती
4-गुड़	16-धूपबत्ती	28-बर्तन धोने वाले बार
5-घी	17-कंघी	29-इलेक्ट्रिक सामान
6-नमकीन	18-दर्पण	30-टॉर्च
7-सूखे मेवे (पैक्ड)	19-झाड़ू	31-दीवार घड़ी
8-मिठाई(पैक्ड)	20-पौंछा	32-माचिस
9-मसाले	21-ताला	33-नॉयलान/जूट रस्सी
10-दूध पाउडर	22-छाता	34-प्लास्टिक पानी पाइप
11- बच्चों के कपड़े(होजरी)	23-रेनकोट	35-प्लास्टिक बाल्टी/मग/छलनी
12-राजमा	24-वॉल हैंगर	

(2)स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बंधी वस्तुएं-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-हैण्डवॉश 3-बाथरूम क्लीनर

2-शेविंग किट 4-बेबी केयर उत्पाद (डायपर,साबुन,मसाज तेल,वाइप्स,बॉडी लोशन) आदि

3- उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति उचित दर दुकानों के माध्यम से इस शर्त पर प्रदान की जाती है, कि इन वस्तुओं का विनिर्माता एफ.एस.एस.ए.आई. के मानकों का अनुपालन करता हो,तथा जिन वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो,वे वस्तुएं सक्षम स्तर से प्रमाणीकृत हों। इसके साथ ही उपरोक्त वस्तुएं केवल उन उचित दर दुकानों से विक्रय की जायेंगी जो ऐसे मुख्य-मार्ग पर अवस्थित हों, जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सकता है।

4- उक्त के अतिरिक्त आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग के स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा,जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा, यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी कर सकने हेतु प्राधिकृत होगी।

भवदीय,

(सन्त लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2023/975/29-6-2023-135सा0/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,उत्तर प्रदेश।
3- प्रबंध निदेशक,उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम,लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
5- वित नियंत्रक,खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
6- समस्त उपायुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0।
7- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।